न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 01/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/80

उनवान

1. लादुलाल पिता मांगीलाल रेगर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा तत्कालीन पटवारी सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. अफसाना पुत्री अल्लादीन पत्नि रईस मोहम्मद श्याह फकीर मुसलमान निवासी रायपुर हाल निवास मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. दिलखुश पुत्री अल्लादीन पत्नि मुख्तियार मोहम्मद श्याह फकीर मुसलमान निवासी रायपुर हाल निवास माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. जुलेखां पुत्री अल्लादीन पत्नि शरीफ मोहम्मद श्याह फकीर मुसलमान निवासी रायपुर हाल निवास कुवारिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. ईमरान अली पुत्र अल्लादीन श्याह फकीर मुसलमान निवासी रायपुर हाल निवास कुवारिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5. बानु बेगम पत्नि अल्लादीन श्याह फकीर मुसलमान निवासी रायपुर हाल निवास कुवारिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत सगरेव नामान्तरणकरण संख्या 1721 दिनांक 27.01.2022

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर – अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 08.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर में दिनांक 27.01.2022 को पटवारी के पद पर कार्यरत था। राजस्व ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में मृतक अल्लादीन पुत्र हुसना मुसलमान व अन्य के सहखातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3799 रकबा 0.22 हैक्ट 3800 रकबा 0.22 हेक्ट, 3808 रकबा 0.46 हैक्ट कुल किता 03 कुल रकबा 0.90 हैक्ट, राजस्व खाता संख्या 66 व आराजी संख्या 3798 रकबा 0.06 हैक्ट गेमु आचा राजस्व खाता संख्या 68 में दर्ज रिकोर्ड होकर स्थित थी, जिसमें मृतक अल्लादीन का क्रमशः 1/2 व 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। उक्त आराजियात में अल्लादीन पुत्र हुसना खातेदार की मृत्यु होने से उसकी विरासत का नामान्तरणकरण संख्या 1721 दिनांक 27.01.2022 को दर्ज किया गया, उसमें सेहवन से अल्लादीन पिता जमाल मुसलमान के वारिसान के नाम ग्रामवासियान द्वारा गलत दर्ज करवा दिये गये और दिनांक 05.02.2022 को कोरम में सेहवन से उसी अनुसार उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1721 ग्राम

सहायक कलक्टर रायपुर

पंचायत सगरेव द्वारा फैसल कर दिया गया, जो गलत होकर अवैध हैं। इसलिये उक्त नामान्तरणकरण के निर्णय से व्यथीथ होकर अपीलान्ट यह अपील सादर प्रस्तुत कर रहा है।

1. मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत सगरेव का उक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.2022 सम्पूर्ण रूप से विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।
2. मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत सगरेव का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य हैं।
3. अपीलान्ट तत्समय पटवार मण्डल सगरेव में नवीन पटवारी पद पर तैनात हुआ, इसलिये व्यक्तिगत तौर पर किसी भी खातेदार काश्तकार को पहचानना सम्भव नहीं होने से ग्रामवासीन के समक्ष जमाबंदी नियमानुसार ग्रामवासियान को पढ़कर सुनाई गई, तो सेहवन से उक्त वर्णित आराजियात के वास्तविक खातेदार अल्लादीन पिता हुसना मुसलमान के असल वारीस अयुब मोहम्मद, जबरायल, काली, व बानु बेगम के बजाय अल्लादीन पिता जमाल मुसलमान के वारीसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 लगायत 05 के नाम उक्त नामान्तरणकरण में बता दिये गये, जिससे दर्ज हो गये, और उक्त नामान्तरणकरण फैसल हो गया, जो एक मानवीय व स्वाभाविक भूल हैं. जिसको कानून में दुरूस्त करने का प्रावधान वर्णित हैं, इसलिये उक्त नामान्तरणकरण संख्या 1721 कानूनन व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर अपास्त होने योग्य हैं, और मृतक खातेदार के वास्तविक प्रथम श्रेणी के वारीसान के नाम उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज किये जाना आवश्यक हो गया हैं।
4. ग्रामवासियान की जानकारी के अनुसार उक्त अपीलाधीन नामान्तरणकरण मुझ अपीलान्ट द्वारा सद्भाविक रूप से दर्ज किया गया हैं, इसमें किसी प्रकार की दुरभि संधि या दुर्भावना नहीं रही हैं।
5. मृतक खातेदार अल्लादीन पुत्र हुसना के नाम शुरू से ही उक्त वर्णित भूमियां दर्ज रही हैं, तथा कभी भी उक्त वर्णित भूमियां अल्लादीन पिता जमाल के नाम पर दर्ज नहीं रही हैं, किन्तु सेहवन से गलत जानकारी के आधार पर उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया गया जो अपास्त होने योग्य हैं।

अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत सगरेव तहसील रायपुर के द्वारा दिनांक 05.02.2022 को फैसल ग्राम सगरेव के नामान्तकरण संख्या 1721 दर्ज दिनांक 27.01.2022 फैसल दिनांक 05.02.2022 को अपास्त फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में दर्ज मृतक खातेदार अल्लादीन पिता हुसना मुसलमान सा.देह के वास्तविक प्रथम श्रेणी के वारीसान के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1

सहायक कलक्टर

लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हुए है एवं प्रत्यर्थीगण 6 तहसीलदार रायपुर फोरमल पक्षकार है।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल खातेदार अल्लादीन पिता हुसना मुसलमान के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसकी मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारीसान अयुब मोहम्मद, जबरायल, काली व बानु बेगम के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया जाना था परन्तु सेहवन से प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 5 के नाम नामान्तकरण 1721 दिनांक 27.01.2022 को दर्ज किया गया जो कि वास्तव में अल्लादीन पिता जमाल के वारिसान है। समान नाम होने से नामान्तकरण में मानवीय भूल हो गई। उक्त नामान्तकरण की स्वीकृती दिनांक 05.02.2022 से 23.01..2025 तक की अवधि को जानकारी अभाव में मुजरा दिलाते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी नकल एवं नामान्तकरण पर गंभीरता से विचार किया गया तो पाया कि अपील में वर्णित भूमि का मूल खातेदार अल्लादीन पिता हुसना मुसलमान जी थे उनके फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 1721 अफसाना पुत्री अल्लादीन, दिलखुश पुत्री अल्लादीन, जुलेखां पुत्री अल्लादीन, ईमरान अली पुत्र अल्लादीन, बानु बेगम पत्नि अल्लादीन के नाम दर्ज किया गया है जो कि वास्तव में अल्लादीन पिता जमाल के वारिसान है। समान नाम होने से नामान्तरण में मानवीय भूल हो गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक से अपील प्रस्तुत तक की अवधि को कन्डोन करते हुए अपील स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत सगरेव तहसील रायपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1721 के निर्णय दिनांक 05.02.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार अल्लादीन पिता हुसना मुसलमान निवासी सगरेव के विधिक वारीसान की जांच कर अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण सभी पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक क[illegible]धिकारी)
रायपु[illegible]ड़ा